

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 481]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 10 दिसम्बर 2019—अग्रहायण 19, शक 1941

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 दिसम्बर 2019

क्र. एफ 4-4(4-2)-2014-उन्तीस-1.—भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) की अधिसूचना जो का. आ. 3540 (ई) दिनांक 29 सितम्बर 2019 जी.एस.आर. 929 (ई) दिनांक 29 सितम्बर 2016 एवं दिनांक 9 दिसम्बर 2019 के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का सं. 10) की धारा 3 एवं केन्द्र सरकार के कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय (खाद्य विभाग) के जी.एस.आर. 800 दिनांक 9 जून, 1978 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, "मध्यप्रदेश प्याज व्यापारी (स्टॉक सीमा तथा जमाखोरी पर निर्बन्धन) आदेश, 2019" में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त आदेश की कंडिका 3 सहपठित अनुसूची 'एक' में विनिर्दिष्ट संख्या एवं शब्द '50 क्विंटल' के स्थान पर संख्या एवं शब्द '20 क्विंटल' प्रतिस्थापित किया जाये.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. के. चन्देल, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 10 दिसम्बर 2019

क्र. एफ 4-4(4-2)-2014-उन्तीस-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड तीन के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-4(4-2)-2014-उन्तीस-1, दिनांक 10 दिसम्बर, 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. के. चन्देल, उपसचिव.

Bhopal, the 10th December 2019

No. 4-4(4-2)2014-XXIX-1.—In exercise of the powers conferred under section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (No. 10 of 1955) read with the notification No. S.O. 3540 (E) dated 29th September 2019 and G.S.R. 929 (E) dated 29th September 2016 and dated 9th December 2019 of the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs), Government of India and G.S.R. 800 dated 9th June, 1978 of Department of Food, Ministry of Agriculture and Irrigation, the State Government hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Onion Traders (Stock-Limit and Restriction on Hoarding) order, 2019:—

AMENDMENT

In Schedule-I read with clause 3 of the above said order the specified number and word '50 Quintal' is replaced with number and word '20 Quintal.'

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
B. K. CHANDEL, Dy. Secy.